सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025 / 654 दर्ज तिथिः—11.09.2025

1. भंवरसिंह पुत्र किस्तुरसिंह
2. बलवंतसिंह पुत्र किस्तुरसिंह

जाति राजपुत निवासी पादरड़ी तहसील गुड़ामालानी।

............प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. तनसिंह पुत्र मोडसिंह
3. गणपतसिंह पुत्र मोडसिंह
4. गजेन्द्रसिंह पुत्र मोडसिंह

जाति राजपुत निवासी पादरड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी

..............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः—श्री प्रागाराम बोगराज

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—30.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - कि आराजी मूल खसरा संख्या 179 मौजा पादरड़ी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी का माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 166 / 2000 अनवान मोडसिंह बनाम मोबता वगैरा में निर्णय दिनांक 27.05.2002 की अनुपालना में नामान्तरण संख्या 647 पारित होने से खसरा संख्या 179 / 3 / 2.1529 है0 प्रार्थीगण के नाम एवं खसरा संख्या 179 / 2.1610 है0 विप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया।
   - कि नामान्तरण संख्या 647 द्वारा विभाजन प्रस्ताव के सलंग्न नजरी नक्शा में बरंग अनुसार नामान्तरण नहीं कर उसके विपरित हो गया। जिससे लट्ठा ट्रेस व मौके पर भिन्नता उत्पन्न [illegible] जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested

की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में विप्रार्थीगण के कब्जे में आ रहीं है। जिसे परिशिष्ट 'अ' के अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे बहस का निवेदन किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1943 दिनांक 21.01.2026 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—बी के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान की गई।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—बी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

हाल राजस्व रिकॉर्ड | प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ'

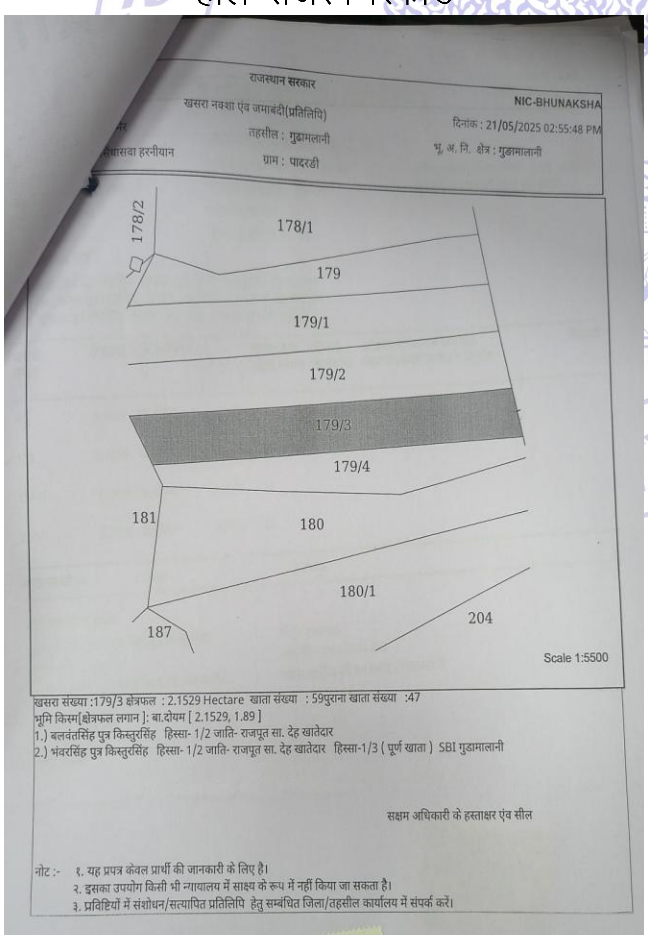

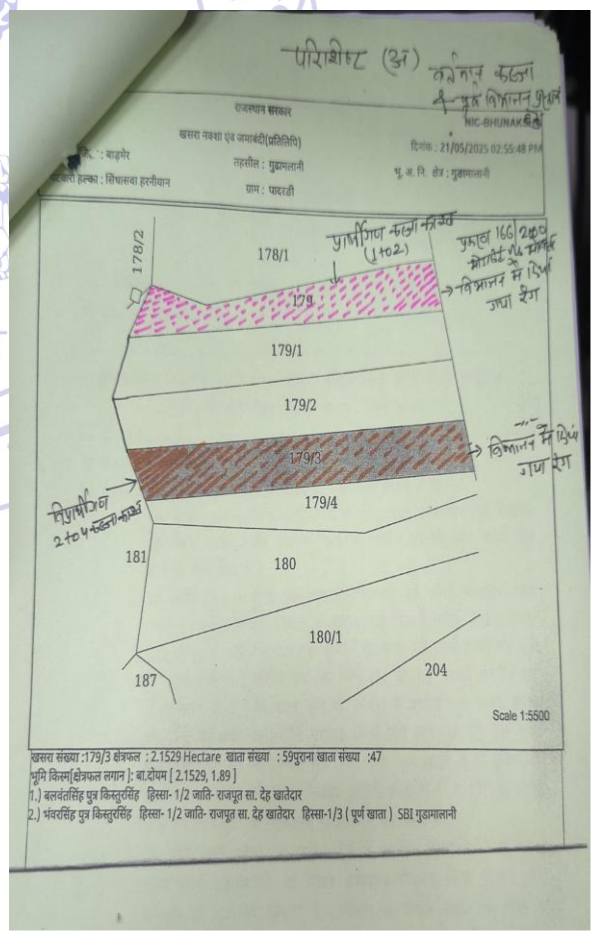

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—बी के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1943 दिनांक 21.01.2026 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त रिपोर्ट पर पक्षकारों के मध्य सहमति प्रदान की गई है। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1943 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

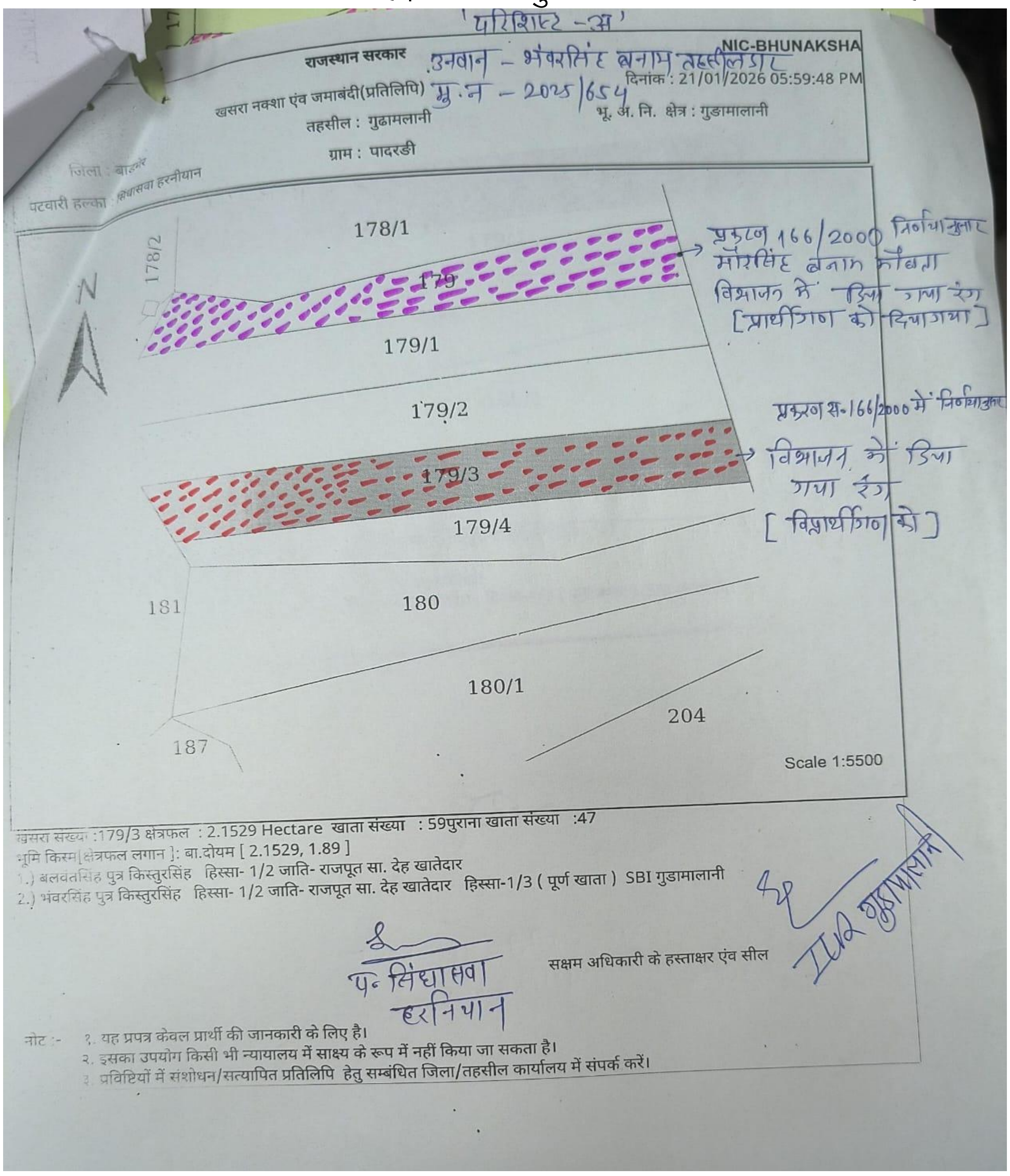
'परिशिष्ट -अ'
राजस्थान सरकार
NIC-BHUNAKSHA
उनवान - भंवरसिंह बनाम तहसीलदार
खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) मु.न - 2025/654
दिनांक : 21/01/2026 05:59:48 PM
तहसील : गुढामलानी
भू. अ. नि. क्षेत्र : गुडामालानी
ग्राम : पादरडी
जिला : बाड़मेर
पटवारी हल्का : सिंधासवा हरनीयान

खसरा संख्या :179/3 क्षेत्रफल : 2.1529 Hectare खाता संख्या : 59पुराना खाता संख्या :47
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.दोयम [2.1529, 1.89]
1.) बलवंतसिंह पुत्र किस्तुरसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
2.) भंवरसिंह पुत्र किस्तुरसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) SBI गुडामालानी

प. सिंधासवा हरनियान

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

ILR गुड़ामालानी

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1943 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—
   1. कि खसरा संख्या 179 व 179 / 3 की तरमीम माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी में दायर मुकदमा संख्या 166 / 2000 उनवान मोडसिंह बनाम मोबता वगैरह में जारी निर्णय अनुसार तरमीम नहीं की जाकर विपरीत दिशा में की गई है।
   2. कि उक्त खसरे की तरमीम का रकबा बराबर है तथा कब्जा काश्त तथ निर्ण के विपरित है। तरमीम वास्तविक कब्जा काश्त एवं परिशिष्ट 'अ' के अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1943 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1943 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1943 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/1943 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested